खनिजों की रायल्टी के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश

3446. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों के समनुरूप बिहार सरकार ने कोयले सहित सभी खनिजों की रायल्टी में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनिजों के लिए रायल्टी की दरों में संशोधन 5.5.1990 को किया जाना देय हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारिया आयोग ने दो वर्षों में रायल्टी दर में संशोधन करने की अनुशंसा की है; यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर उपकर उद्गृहीत करने की शक्ति प्रदान किए जाने और उनके द्वारा उदगृहीत उपकर के लौटाये जाने की कोई आवश्यकता न होने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संगत विधि में कोई संशोधन करने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों को रायल्टी दरों में संशोधन न किये जाने के कारण हानि हो रही है; और यदि हां, तो इन दरों में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) बिहार और अन्य राज्य सरकारों ने खनिजों पर रायल्टी दरें बढ़ाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है । बिहार सरकार ने साथ ही कुछ खनिजों के लिए विशिष्ट रायल्टी दरों का सुझाव दिया है, यथा :–

राज्य खनिजों का नाम	सुझाई गई रायल्टी दरें
	(रुपए प्रति टन
I. बिहार	
1. लोहा	48
2. बाक्साइट	132
3. चूना पत्थर	75
4. तांबा	24 प्रति यूनिट अयस्क प्रतिशत
5. अभ्रक	
1. क्रूड	64
2. वैस्ट	32
6. सिलिका रेत/क्वार्टज/स्टीटाइट/क्वार्टजाइट	16
7. फेल्स्पार	16
8. पायराइट	2 प्रति यूनिट सल्फर प्रतिशत
9. डोलोमाइट	23
10 चीनी मिट्टी	
1. क्रूड	28
2. धुली	112
11. फायर क्ले	20
12. यूरेनियम	विद्यमान रायल्टी दरों से दो-तीन गुना

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार, किसी भी खनिज की रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि में एक से अधिक बार वृद्धि नहीं की जा सकती है । रायल्टी दरों में पिछला संशोधन 5.5.87 को हुआ था । तदनुसार, अगले संशोधन पर केन्द्र सरकार द्वारा 5.5.90 को या उसके बाद ही विचार किया जा सकता था।

(ग) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) खनिजों पर सैस लगाने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार देने के लिए, संबंधित कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों द्वारा 4.4.91 तक वसूल सैस एवं अन्य खनिज लेवियों, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 4.4.91 के फैसले के आलोक में राज्य सरकारों द्वारा लौटाया जाना है, को वैध करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) राज्य सरकारें, खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) पर मई, 1987 से प्रभावी प्रचलित दरों पर रायल्टी वसूल कर रही है, इन दरों में संशोधन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

भारत गोल्ड माइन्स को हुआ घाटा

3447. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन**
श्री राम जेठमलानी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइंस को पिछले कई वर्षों से घाटा हो रहा है; और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उपक्रम को कितना वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने घाटे की क्षति-पूर्ति के लिए उपक्रम को कोई राज-सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो उपक्रम को कितनी राज सहायता दी गई है; और

(ग) उपक्रम के व्यय को कम करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान क्या कोई उपाय किए गए थे और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय में कितनी कमी की गई और चालू वर्ष के दौरान व्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइंस लि० अयस्क भंडार में कमी, ग्रेड गिरावट, अति गहराई पर खनन, फालतू श्रमिकों और कठिन खनन दशाओं के कारण, 1972-73 से (1979-80 और 1980-81 को छोड़ कर) घाटा उठा रही है । गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को हुए घाटे और उसकी पूर्ति हेतु दी गई सबसीडी का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

	1988-89	1989-90	1990-91	जोड़
शुद्ध हानि . . .	12.62	35.17	35.29	83.08
दी गई सबसीडी . .	5.40	10.66	27.17	43.23